न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– कैलाश चन्द्र शर्मा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 114/2014

1. रामकुमार पुत्र श्री बद्रीराम जाति जाट साकिन ठाकरावाली 13 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्री जिला श्रीगंगानगर।

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. देवीलाल
2. सुलतान
3. लेखराम

} पिसरान श्री बद्रीराम जाति जाट निवासी ठाकराराावाली 13 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्रीगंगानगर

4. गुड्डी पुत्र बद्रीराम पत्नि ब्रदीप्रसाद जाति जाट निवासी 19 जी.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
5. सन्तो पुत्री ब्रदीराम पत्नि महेन्द्र जाति जाट निवासी 19 जी.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
6. कमला पुत्री ब्रदीराम पत्नि जगदीश जाति जाट निवासी 8 यू.टी.एस. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानंगर
7. स्टेट आफ राजस्थान– जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा अधिवक्ता — वादी
2. श्री ओमप्रकाश छाबड़ा अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 6

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 5.11.16

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी एवम् प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 सगे भाई है तथा प्रतिवादीगण संख्या 4 से 6 सगी बहनें है, वादीगण 1 ता 3 व उनकी माता स्व. मूगादेवी पत्नी बद्रीराम के नाम से चक 13 एल.एन. पी. द्वितीय के खाता संख्या 71/60 मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1 ता 25 के 6.325 हैक्टर नहरी भूमि खातेदारी दर्ज कागजात राज है। इस प्रकार के प्रत्येक का 1/5 हिस्सा है वादी प्रतिवादी 1 ता 3 व माता मूगादेवी प्रत्येक का 5–5 बीघा बना। वादी की माता का देहान्त हो चुका है तथा उसके 5.00 बीघा के वारिसान व हकदारान वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 6 बहिस्सा बराबर हुए है। अतः वादी की माता की भूमि में वादी का 1/7 हिस्सा बना। वादी की माता का देहान्त जुलाई 2013 में हो चुका है। वाहमी विभाजन में वादी के हिस्से में मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1/.10, 5, 9, 15, 16, 25/.10 कुल 5.00 बीघा कब्जा काश्त में चली आ रही है। अतः उक्त विवादास्पद भूमि 25.00 बीघा में वादी का 1/5 हिस्सा घोषित करते हुए कब्जा काश्त की भूमि का खाता अलग कर लगान आदि कायम किया जावे।

वाद प्रस्तुत होनें पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध दिनांक 10.12.2014 को एक पक्षीय

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

A12/2

कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रतिवादी संख्या 6 की और से श्री औमप्रकाश छाबड़ा एडवोकेट उपस्थित आये जिनके द्वारा कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किये जानें पर दिनांक 14.12.2015 को जबाब बन्द किया जाकर स्टेट जबाब लिया गया। दिनांक 29.12.2015 को स्टेट जबाब प्रस्तुत होनें पर दिनांक 14.01.2016 को निम्नांकित तनकियात कायम की गई।

1. आया कि चक 13 एल.एन.पी. द्वितीय के खाता संख्या 71/60 मुरब्बा नम्बर 29 के 25.00 बीघा में से अपनें नाम से दर्ज 1/5 हिस्सा के अलावा मृतका मूगा के 1/5 हिस्सा यानि 5.00 बीघा में से 1/7 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है अतः उसे खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे ?

— — वादी

2. आया कि उक्त विवादास्पद भूमि में किला वाईज विभाजन कर लगान आदि अलग कायम करनें के आदेश दिये जावें ?

— — वादी

3. आया कि विवादास्पद भूमि के सम्बंध में पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद होनें से राज्य के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा है ?

— — प्रतिवादी संख्या 7

4. अनुतोष।

दिनांक 11.03.2016 को वादी की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए जमाबन्दी प्रदर्श — 1 करवाई। दिनांक 13.03.2016 को लोक अदालत में वकील वादी को सुना गया वकील वादी नें तर्क दिया कि उक्त भूमि में वादी का 1/5 हिस्सा बनता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 के विरूद्ध एक पक्षीय व प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जबाब नहीं आया। अतः वादी का उक्त में 1/5 हिस्सा घोषित करते हुए उनके कब्जा काश्त में 5.00 बीघा भूमि है, के प्रस्ताव मंगवाये जाकर डिक्री किया जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया जाकर व संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2067—70 चक 13 एल.एन.पी. द्वितीय खाता संख्या 71/60 की 6.325 हैक्टर भूमि मूगादेवी पत्नी बद्रीराम, रामकुमार, देवीलाल, सुलतान, लेखराम पिसरान बद्रीराम हर पांच हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि मुश्तर्का खाते में होने के कारण है, वादी का उक्त विवादास्पद भूमि में 1/5 हिस्सा घोषित करते हुए दिनांक 11.03.2016 को वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर से भूमि के विभाजन प्रस्ताव हिस्सा व कब्जा के अनुसार मय नक्शा— वर्तमान जमाबन्दी सहीत राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 को मध्यनजर रखते हुए मंगवाये गये।

तहसीलदार श्रीगंगानगर के पत्रांक 1878 दिनांक 06.06.2016 को प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार चालू जमाबन्दी चक 13 एन.एन.पी. द्वितीय के खाता संख्या 71 में प्रार्थी रामकुमार पुत्र बद्रीराम जाति जाट के नाम से सयुंक्त खाते में 1.265 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज है। ग्रामवासियों से पूछताछ के अनुसार प्रार्थी चक 13 एल.एन.पी. के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1/.126, 5/.253, 6/.253, 15/.253, 16/.253 तथा 25/.127 कुल 1.265 हैक्टर भूमि पर काबिज है। उक्त भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि है।

— :: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त प्रस्तावानुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वादी रामकुमार पुत्र श्री बद्रीराम जाति जाट साकिन ठाकरावाली 13 एल.एन.पी. तहसील व जिला श्री जिला श्रीगंगानगर को चक 13 एन.एन.पी. द्वितीय के खाता संख्या 71 में 1.265 हैक्टर नहरी

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

A17/3

भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत चक 13 एन.एन.पी. द्वितीय के खाता संख्या 71 के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1/.126, 5/.253, 6/.253, 15/.253, 16/.253 तथा 25/.127 कुल 1.265 हैक्टर भूमि का खाता अलग किया जाता है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी बैक आदि से ऋण ले रखा हो तो समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें पर ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान अलग कायम किया जावे। निर्णय कर प्रति तहसीलदार श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 4-11-16 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर